उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (दूरभाषः 2720425) फैक्स : 2720423, ई–मेलःsecretary@uperc.org

सन्दर्भः यूपीईआरसी/सचिव/2007–1077
दिनांकः 30 अगस्त 2007

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत प्राधिकार

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत(संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत विद्युत चोरी के पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत विच्छेदन हेतु पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के सहायक अभियंता/एस0डी0ओ0 या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

ये अधिकारी विद्युत चोरी के पाये जाने पर विद्युत विच्छेदन करने में समर्थ होंगे। इन अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि विद्युत विच्छेदन के 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में उक्त अपराध की शिकायत दर्ज कराये। संबंधित वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर विद्युत चोरी के ऐसे सभी प्रकरणों की सूचना आयोग को एवं सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायेगा जिसमे विद्युत विच्छेदन के 24 घण्टों के अन्दर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज न हुई हो साथ ही ऐसे प्रकरणों में अपने स्तर से लिये गये निर्णय से भी आयोग को अवगत करायेगा।

यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि या विद्युत शुल्क को जमा कर देता है, तो उक्त शिकायत को दर्ज करवाये जाने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञप्तिधारी उक्त धनराशि के जमा कराये जाने के 48 घण्टों के अन्दर विद्युत संयोजन को पुनः जोड देगा।

आयोग के आदेश से

(संगीता वर्मा)
सचिव

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
2. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (दूरभाषः 2720425) फैक्स : 2720423, ई–मेलःsecretary@uperc.org

सन्दर्भः यूपीईआरसी/सचिव/2007–1078
दिनांकः 31 अगस्त 2007

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत प्राधिकार

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत(संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत विद्युत चोरी के पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत विच्छेदन हेतु नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, नोएडा के अवर अभियंता या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

ये अधिकारी विद्युत चोरी के पाये जाने पर विद्युत विच्छेदन करने में समर्थ होंगे। इन अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि विद्युत विच्छेदन के 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में उक्त अपराध की शिकायत दर्ज कराये। मुख्य अधिशासी अधिकारी नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर विद्युत चोरी के ऐसे सभी प्रकरणों की सूचना आयोग को एवं सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायेगा जिसमे विद्युत विच्छेदन के 24 घण्टों के अन्दर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज न हुई हो साथ ही ऐसे प्रकरणों में अपने स्तर से लिये गये निर्णय से भी आयोग को अवगत करायेगा।

यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि या विद्युत शुल्क को जमा कर देता है, तो उक्त शिकायत को दर्ज करवाये जाने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञप्तिधारी उक्त धनराशि के जमा कराये जाने के 48 घण्टों के अन्दर विद्युत संयोजन को पुनः जोड देगा।

आयोग के आदेश से

(संगीता वर्मा)
सचिव

मुख्य अधिशासी अधिकारी, नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड नोएडा।

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–3
संख्या– 28 /चौबीस–पी–3–2008
लखनऊ : दिनांक: 03 जनवरी, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जांच/कार्यवाही हेतु अधिकृत अधिकारियों के सम्बन्ध मे ऊर्जा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–2635/चौबीस–पी–3–2004, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 में एतद्द्वारा आंशिक संशोधन कर निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

(1) अवर अभियन्ता एवं उससे ऊपर के अधिकारी ।
(2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की पुलिस सतर्कता शाखा में तैनात पुलिस निरीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारी।

वी0एन0 गर्ग
प्रमुख सचिव

संख्या: 28 (1)पी–3/24–2008, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ0प्र0 ।
2– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4– पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5– समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा ।
6– प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।

आज्ञा से,
(राजकमल गुप्ता)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर लखनऊ (दूरभाष: 2720426)
फैक्स : 2720423, ई–मेल : secretary@uperc.org

सन्दर्भ: यूपीईआरसी/सचिव/2008–1876
दिनांक: 24.1.2008

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आघोषित धारा 135 (1ए) के अन्तर्गत प्राधिकार।

विद्युत अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सँ0 28/चौबीस–पी–3–2008 दिनांक 03 जनवरी 2008 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आयोग के पत्र सँ0 यूपीईआरसी/सचिव/2007/1007 दिनांक 30 अगस्त 2007 को संशोधित करने का निर्णय लेते हुए विद्युत अधिनियम 2003 सपठित विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा 135 (1ए) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत विद्युत चोरी के पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत विच्छेदन हेतु पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड कानपुर के अवर अभियन्ता या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। नोयडा पावर कम्पनी, नोयडा के विषय में आयोग के पत्र सँ0 यूपीईआरसी/सचिव/2007/1007 दिनांक 31 अगस्त 2007 द्वारा अवर अभियन्ता या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किये जाने की स्थिति यथावत रहेगी।

ये अधिकारी विद्युत चोरी के पाये जाने पर विद्युत विच्छेदन करने में समर्थ होंगे। इन अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि विद्युत विच्छेदन के 24 घंटे के अन्दर सम्बंधित पुलिस स्टेशन में उक्त अपराध की शिकायत दर्ज करायें। सम्बंधित वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर विद्युत चोरी के ऐसे सभी प्रकरणों की सूचना आयोग को एवं सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायेंगे जिनमें विद्युत विच्छेदन के 24 घंटों के अन्दर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज न हुयी हो साथ ही ऐसे प्रकरणों में अपने स्तर से कृत कार्यवाही से भी आयोग को अवगत करायेंगे।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि या विद्युत शुल्क को यदि उपभोक्ता जमा कर देता है तो उक्त शिकायत को दर्ज करवाये जाने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञप्तिधारी उक्त धनराशि के जमा कराये जाने के 48 घंटों के अन्दर विद्युत संयोजन को पुनः जोड देगा।

आयोग के आदेश से

(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
सचिव

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
2. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड कानपुर।
6. मुख्य अधिशाषी अधिकारी, नोयडा पावर कम्पनी, नोयडा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ।